न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 36/2024 बउनवानी राम लाल बैरवा बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार,बौंली निवासी नेहा विला महावीर मार्ग, बौंली **GCMS No-2024/93**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
28.8.2024	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौंली की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 23.5.2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौंली द्वारा तहसीलदार मित्रपुरा को अधिनियम की धारा 6(3) के तहत अन्तरित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः— 1. संलग्न जमाबन्दी मे वर्णित भूमि मे प्रार्थी भी हिस्सेदार है जो काश्तकार के नाम मे कम संख्या 13 रामलाल पुत्र नाथू दर्शाया गया है उक्त भूमि का कुछ हिस्से की वर्ष 2003 से तहसीलदार बौंली द्वारा रिसीवरी में है इस रिसीवरी भूमि की नीलामी काश्त हेतु वर्ष 2007—08 से 2021—22 तक निलामी कार्यवाही की सूचना संलग्न प्रपत्र पर चाही गयी है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मित्रपुरा द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मित्रपुरा को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ है। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मित्रपुरा की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांकः आरटीआई/2024/355 दिनांक 28.8.2024 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 23.5.2024 में चाही गयी सूचना अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 28.8.2024 से उपलब्ध करवायी जा चुकी है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 23.5.2024 मे चाही गयी सूचना तहसीलदार मित्रपुरा के पत्रांक 354 दिनांक 28.8.2024 से अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। उक्त विवेचन कि अनुसार चाही गयी सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध हो चुकी है इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। Signature Not Verified Digitally signed by Khushaal Yadav Date: 2024.09.24 13:25:06 IST Reason: SelfAttested (खुशाल यादव) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner